न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कान्हिन बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अपील नामान्तरण केस नं.– 3/2021
18.1.24	अवकाश सोमे ऑडकरण पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही बहस दिनांक 29.2.24 को पेश हो।
29.01.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् ने लिखित बहस पेश कर रखी है तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 04 स्वीकृत नामान्तकरण तस्दीक दिनांक 15.03.1988 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) 29/01/24 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2021	2021 / 102	07.04.2021	29.01.2024

उनवान प्रकरण

धर्मदत्त शर्मा पुत्र स्व. श्री रूडमल उम्र 64 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी मकान नं. 80 / 429 शंकराचार्य मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राज0

—अपीलान्ट—

बनाम्

1. कालीचरण पुत्र स्व. मुरलीधर उम्र 69 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—रेस्पोडेन्ट—

2. भूपेन्द्र पुत्र स्व. रूडमल उम्र 62 वर्ष
3. सचिन शर्मा पुत्र स्व. रूडमल उम्र 62 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

4. सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट—

उपस्थित :—

श्री गिरिराज शर्मा, एड0 अपीलान्ट अभिभाषक।
श्री बाबूलाल शर्मा / विकम सिंह बांकावत, एड0 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक।
श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी, एड0 तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अभिभाषक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 04 दिनांक 19.03.1988 द्वारा ग्राम पंचायत सिहोड़ी

29/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

-: निर्णय :-

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 स्व. सेवाराम के पडपौत्र है व दुर्भाग्यवश नामांतकरण जिस गिरधारी पुत्र गंगासहाय की खातेदारी खसरा नम्बर 119 व 120 ग्राम गीदावाला पटवार हल्का कोटडी सिमारला हेतु भरा गया। उक्त गिरधारी सेवाराम का पौत्र है। इस प्रकार अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 एवं गिरधारी पुत्र गंगासहाय एक ही मौरूशाला सेवाराम के वंशज है। उक्त गिरधारीलाल का देहावसान निःसंतान अविवाहित अवस्था में हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण संख्या 04 विधिवत अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम भरा गया। जिसकी जांच आई0एल0आर0 श्रीमाधोपुर द्वारा कुर्सीनामा अर्थात वंशावली जो कि नामांतकरण की पुश्त पर अंकित थी, के अनुसार की गई व पटवारी द्वारा किये गये अंकन को गिरदावर हल्का ने दिनांक 10.03.1988 को दुरूस्त माना गया तत्पश्चात नामांतकरण संख्या 04 ग्राम पंचायत सिहोडी के सम्मुख पेश किया गया। जिस पर तत्कालीन सरपंच ग्यारसीलाल ने बिना किसी जांच व प्रक्रिया के कालीचरण पिसर मुतबन्ना मुरलीधर ब्राह्मण साकिनदेह के नाम से उक्त नामांतकरण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की बिना जानकारी के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में स्वीकार किया। उक्त नामांतकरण की अभी दिनांक 01.04.2021 को नकल लेने से पूर्ण जानकारी होने पर उक्त नामांतकरण से व्यथित अपीलान्ट यह अपील निम्न वजूहात पर सादर प्रस्तुत करता है कि उक्त नामांतकरण आधारहीन व विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 को ना तो कोई सूचना दी गई व ना ही उन्हें सुना गया नामांतकरण संख्या 04 दिनांकित 1[illegible].19[illegible] नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। गिरधारी पुत्र गंगासहाय अपीलान्ट के दादा के सगे भ्राता के पुत्र थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 ही उनके उत्तराधिकारी थे व है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

29/01/24

सरपंच ग्राम पंचायत ने कालीचरण को मुरलीधर का दत्तक पुत्र मानकर किस आधार पर नामांतकरण स्वीकार किया? उसका कोई कारण व आधार नामांतकरण में अंकित नही है। वस्तुतः कालीचरण, मुरलीधर का वास्तविक पुत्र है, जिसे गिरधारी पुत्र गंगासहाय की विरासत किसी भी सूरत में नही पहुंच सकती है एवं ग्राम पंचायत को भी नैसर्गिक उत्तराधिकार के क्रम से अन्यथा तरीके से नामांतकरण स्वीकार करने का कोई हक व अधिकार नही है। नामांतकरण संख्या 04 अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में ही भरा गया था। वैसी स्थिति में नामांतकरण स्वीकार केवल उन्हीं के हक में हो सकता था। अन्य अवस्था में यदि पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण भरे जाने में प्रदर्शित किये गये उत्तराधिकारी बाबत अथवा दी गई वंशावली बाबत यदि सरपंच ग्राम पंचायत असहमत भी होते, तो केवल नामांतकरण अस्वीकार हो सकता था। किसी अन्य व्यक्ति जिसके हक में नामांतकरण भरा ही नही गया, उसका नाम स्वेच्छापूर्वक सरपंच द्वारा अंकित करके नामांतकरण कानूनन स्वीकार नही किया जा सकता था, इस कारण भी उक्त नामांतकरण पूर्णतः विधि विरूद्ध व सम्पत्ति हड़पने की कूटरचना जैसा ही एक दस्तावेज है कि कालीचरण के हक में गिरधारीलाल की कोई वसीयत या गोदनामा कुछ भी नही है व ना ही ऐसे किसी दस्तावेज के कारण चुनौतीग्रस्त नामांतकरण भरा गया है, इसलिये भी उक्त नामांतकरण निरस्तनीय है। स्व. गिरधारीलाल व अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 का संबंध प्रदर्शित करते हुये वंशावली नामांतकरण की पुश्त पर अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी * श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अधीन यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को इस प्रकार के नामांतकरण दर्ज किये जाने का कोई अधिकार नही है, जिसमें वास्तविक उत्तराधिकारिता से भिन्न परिवार के सदस्यों से अन्य व्यक्ति के नाम बिना किसी Testamentary documents के आधार पर दर्ज किया जाता है। इस परिपेक्ष में भी उपरोक्त नामांतकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट सं[illegible] 4 के विरूद्ध जन्म से ही शून्य, निष्प्रभावी होकर, प्रभावी वि[illegible] है एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित आदेश को जन्म से ही शून्य [illegible]ullity) की श्रेणी में माना जाता है। इस परिपेक्ष में भी उपरोक्त नामांतकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

एवं तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के हितों के विरूद्ध जन्म से ही शून्य निष्प्रभावी है। उपरोक्त नामांतकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 में जो सरपंच द्वारा पृष्ठांकन किया गया है, में तथाकथित वंशावली एवं आई०ए०एस० की रिपोर्ट को क्यों नही स्वीकार किया गया, का भी कोई अंकन नही है। इस प्रकार उपरोक्त नामांतकरण अधिकार शक्तियों के परे होने के साथ–साथ बिना कारण (Non speaking) श्रेणी का होने से विधि संगत आदेश में नही आता है। इस परिपेक्ष्य में भी उपरोक्त नामांतकरण विधि से शून्य होकर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध निष्प्रभावी है। उपरोक्त नामांतकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने गम्भीर आपराधिक कृत्य कर, स्वयं के नाम दर्ज करवाया है। उपरोक्त नामांतकरण में आपराधिक कृत्य समस्त समाज के विरूद्ध श्रेणी का होने के कारण एवं अपीलान्ट ने उपरोक्त बाबत पृथक से अन्य अनुतोष की चाराजोही भी प्रस्तावित कर रखी है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मुरलीधर पुत्र श्री जगन्नाथ का जाईन्दा पुत्र है। मुरलीधर के देहावसान पश्चात मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ की ग्राम ढाबावाली की खाता संख्या 16, 56 में वर्णित भूमि के बाबत विरासत का नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 17.07.2020 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व अन्य भ्रातागण उपरोक्त मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ के अन्य विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जा चुका है। उपरोक्त नामांतकरण संख्या 04 सरपंच ग्यारसीलाल द्वारा अनुमोदित किया गया है, जबकि उपरोक्त ग्यारसीलाल ने ही सेवाराम की वंशावली के अंतर्गत गिरधारी के उत्तराधिकारिता के रूप में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का नाम नही होने की वंशावली जारी की है। इस प्रकार भी उपरोक्त नामांतकरण प्रथमदृष्टवा ही ग्यारसीलाल द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत कर या रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन में आकर नियमों के प्रतिकूल दर्ज किया जाना प्रमाणित होता है। अन्यथा भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने ऐसी कोई लोक अधिकारी या जनप्रतिनिधि की वंशावली या कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गिरधारी का विधिक उत्तराधिकारी प्रथमदृष्टवा ही प्रमाणित होता है। अपीलान्ट राजस्थान न्यायिक विभाग में विभिन्न पदों पर दिनांक 05.05.1976 से सेवारत होकर, अपीलान्ट के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होते रहे एवं अपीलान्ट राजस्थान न्यायिक सेवा (Rajasthan Judicial

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24

Service) में दिनांक 07.02.1992 से सेवारत होकर अपीलान्ट दिनांक 30.06.2016 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। इस अवधि दौरान अपीलान्ट का अपने पुश्तैनी ग्राम में आना–जाना कम होता था तथा इसी अनुक्रम में उपरोक्त भूमि की सार–सम्भाल अपीलान्ट की ओर से उसके भाई, बधु करके अपीलान्ट को उसके हिस्से की भूमि की उपज, आय में लाभांश प्रदत्त करते थे। अब लगभग 15–20 दिन से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 उक्त संदर्भित भूमि खसरा नम्बर 119, 120 को लेकर विवाद करने लगा, तो संबंधित नामांतकरण की जमाबंदी की नकल दिनांक 01.04.2021 को प्राप्त किये जाने से इस नामांतकरण संबंधी जानकारी प्रथम बार हुई है, जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है व इसके साथ विधिवत धारा 5 मियाद अधनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है व मियाद संबंधी प्रश्न हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है, यदि कोई संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी द्वारा कानून के बिल्कुल विपरीत अथवा गलत व जालसाजी तरीके से आदेश कर दिया गया हो, तो कानून के स्पष्टतः प्रतिकूल दस्तावेज व कार्यवाही के निरस्तीकरण हेतु कोई निर्धारित समयावधि नही है, उसे कभी भी अपास्त करवाया जा सकता है, इसलिये भी यह अपील संबंधित नामांतरकरण के कानूनी व्यवस्थाओं के प्रतिकूल होने के कारण गुणावगुण पर निर्णित होने योग्य है। इसमें मियाद संबंधी स्थिति बाधक नही है।

अतः अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर बाबत भूमि खसरा नम्बर 119 व 120 कुल रकबा 2.87 हैक्टेयर अवस्थित ग्राम गीदावाला पटवार हल्का कोटडी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त नामांतरकरण निरस्त फरमाया जाकर गिरधारी की विरासत नामांतरकरण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन अपीलान्ट द्वारा अपने अपील नामान्तकरण की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–सीकर

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा / विक्रम सिंह बाकावत एड0 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एड0 ने वकालतनामे पेश किए गये। वकील अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी को रेस्पोडेन्ट संख्या–4 बनाये जाने का पेश किया। जिसकी नकल वकील रेस्पोडन्ट को दिलाई जाने पर वकील रेस्पोडेन्ट ने "नो ऑब्जेकशन" होना अंकित किया। वकील रेस्पोडेन्ट की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोडी को रेस्पोडेण्टस संख्या –4 प्रतिस्थापित किया गया। वकील रेस्पोडेण्टस संख्या–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व लिखित बहस अपील नामान्तकरण पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या –4 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिहोडी ने उपस्थित होकर जवाब अपील पेश की। वकील प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया गया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। जो शामिल पत्रावली संलग्न है। प्रकरण में तरतीबी रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बन्द की गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 व 4 के द्वारा लिखित बहस व स्वयं के द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत कर दिये जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में लिखित बहस के आधार पर पुनः बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेण्टस द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2044–2047

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24

2074–2077, नामान्तकरण संख्या 4, खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 ईकरारनामा बाबत पारिवारिक समझौता, प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति, अन्तिम प्रतिवेदन रिपोर्ट, पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर, हनुमान प्रसाद पुत्र बालाबक्स उर्फ बालूराम जाति बडवा गांव दूदू जिला जयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (हलफ नामा), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, 1983, पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020, राशन कार्ड कालीचरण, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, एसडीएम श्रीमाधोपुर का निर्वाचन प्रपत्र पर निर्णय दिनांक 04.03.2004 की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत सिहोडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 26.12.1984, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांकित 09.03.1987, ग्राम पंचायत सिहोड़ी की बैठक दिनांक 09.03.1987 के प्रस्ताव संख्या 3 की फोटोप्रति, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना की पत्रावली की आदेशिका की फोटो प्रति, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः–एफ.15 (69)परावि/विधि/ग्रा.पं.मार्ग/जयपुर/2019/1801 दिनांक 30.08.2019 के द्वारा पंचायतों को कुर्सीनामा/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, प्रकिया व नियमों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 एंव पचांयती राज नियम 1996 में परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर पंचायतों द्वारा कुर्सीनामा/वारिसनामा/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने का ग्राम पंचायतों को कोई प्रावधान नहीं होने बाबत, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी द्वारा प्राप्त वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पश्चात् कालीचरण पुत्र मुरलीधर ब्राह्मण सा0 देह के नाम से खातेदारी [illegible] रिकॉर्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार गिरधारी पुत्र गंगासहाय जाति ब्राह्मण सा0 देह के निःसंतान अविवाहित अवस्था में फौत होने पर पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

गिरधारी के वारिसान् के रूप मे धर्मदत्त, भूपेन्द्र व सचिन पुत्रगण रूडमल जाति ब्राह्मण सा0 देह के नाम नामान्तकरण भरा जाना प्रकट होता है। जिसको सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी के द्वारा कालीचरण को गिरधारी लाल का दत्तक पुत्र मानते हुए विरासत का नामान्तकरण भरा जाकर सर्वसम्मति से नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 15.03.1988 को स्वीकृत किया जाना पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 42 व 43 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जो हनुमान प्रसाद पुत्र बालाबक्स उर्फ बालूराम जाति बड़वा गांव दूदू जिला जयपुर राजस्थान ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (हलफ नामा) में भी खण्डेलवाल ब्राह्मण (विप्र) समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी (वंशावली) के आधार पर वंशवृक्ष हरिनारायण के बनाये गये सजरा खानदान में भी गिरधारी उर्फ गीधा की पगड़ी रिति रिवाज के अनुसार कालीचरण पुत्र मुरलीधर के सम्वत् 2043 में बंधवाई जाना शपथ पत्र से प्रकट होता है। मृत्तक गिरधारी पुत्र गंगासहाय अपीलान्ट के दादा के सगे भ्राता के पुत्र होना तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ही उनके उत्तराधिकारी होना अपील में अपीलान्ट ने अंकित किया है। सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी ने कालीचरण को मुरलीधर का दत्तक पुत्र मानकर किस आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया। इसका नामान्तकरण पर कहीं भी कोई अंकन नहीं किया गया है। कालीचरण रिकार्ड से मुरलीधर का वास्तविक पुत्र होना प्रकट होता है तथा कालीचरण को गिरधारी पुत्र गंगासहाय की विरासत किस प्रकार से प्राप्त हुई। इसका कहीं भी कारण या सजरा खानदान नामान्तकरण पर कहीं भी स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि कालीचरण ही मृत्तक गिरधारी पुत्र गंगासहाय का एकमात्र वारिस होता हो। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24

श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 04 स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 15.03.1988 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण को भूमिकाये तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)